HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 11220/2026
CNR: RJHC020674152026 | URN: CRLMB / 20736U / 2026

Jyoti Singh S/o Chandra Singh, Aged About 38 Years, R/o House No. Oc 59, Nayako Ka Teeba Kachhi Basti, Police Station Transport Nagar, Jaipur. (Presently Confined In Central Jail Jaipur).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Rajendra Singh Tanwar, Adv.
For Respondent(s)	:	Ms. Manju Dave, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Order

18/08/2026

प्रार्थीया–अभियुक्ता की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र धारा 483 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत पुलिस थाना–ट्रांसपोर्ट नगर, जिला जयपुर शहर (पूर्व) में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–171/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 19, 54 राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 में पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया–अभियुक्ता ने तर्क दिया कि वह निर्दोष महिला है, उसे मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है, मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है, अभियुक्ता दिनांक 17.06.2026 से अभिरक्षा में है, विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थीया–अभियुक्ता को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध किया तथा अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रार्थीया–अभियुक्ता का यह जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

दोनों पक्षों की बहस के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

यद्यपि प्रार्थीया–अभियुक्ता का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, लेकिन वर्तमान मामले में प्रार्थी–अभियुक्ता से 62 पव्वे अवैध देशी मदीरा के बरामद होने का आरोप है। प्रकरण में प्रार्थीया–अभियुक्ता दिनांक 17.06.2026 से अभिरक्षा में है, विचारण में समय लगने की संभावना है।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों एवं प्रार्थीया–अभियुक्ता की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थीया–अभियुक्ता को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थीया–अभियुक्ता **ज्योति सिंह पुत्र चन्द्र सिंह** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीया इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय या अंतरिती न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र तथा पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो हस्तगत प्रकरण में उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(UMA SHANKER VYAS),J

51/DINESH KUMAWAT